

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक-एफ.14(3)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट-2/

जयपुर, दिनांक:

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम चुनाव, 2024 कार्यक्रम की घोषणा कर राज्य में मतदान दो चरणों (फेज-1 व फेज-2) की तिथि क्रमशः दिनांक **19.04.2024 एवं 26.04.2024** निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:-

"135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-

(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/- तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुसार समस्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारबार/ व्यवसाय में कार्यरत कामगारों साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, परन्तु उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस क्रमशः दिनांक **19.04.2024 एवं 26.04.2024 (यथानिर्धारित)** के लिए सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाता है, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।

(करण सिंह)

श्रम आयुक्त

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6204209

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके अ.शा.टीप कमांक प.8(1)(23)निर्वा./2024/2398 दिनांक 17.03.2024 के कम में।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण एवं ई.एस.आई., विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, श्रम, कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षण एवं ई.एस.आई., विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4- शासन उप सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5- निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर (समस्त)।
- 7- संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त..... (समस्त) एवं श्रम कल्याण अधिकारी.... (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित संस्थानों के नियोजकों को उनके संगठनों तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के संगठनों को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में समुचित प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित है।
- 9- गार्ड पत्रावली।

श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर